



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239031  
CG-DL-E-23092022-239031

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]  
No. 641]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

सं. 81 /2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 722(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में आगे भी संशोधन करके निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में, -

(i) प्रपत्र घ में, क्रम संख्या 18क के लिए, ई-कॉमर्स आयात के विवरण और तत्संबंधी प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

" ई-कॉमर्स आयात (18क)
क्या ई-कॉमर्स का उपयोग करके आयात किया गया है (हां/नहीं)";

(ii) प्रपत्र ड में, कॉलम 6क के लिए, और तत्संबंधी प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

"ई-कॉमर्स आयात (6क)
क्या ई-कॉमर्स का उपयोग करके आयात किया गया है (हां/नहीं)";

(iii) प्रपत्र ज.क में, शीर्षक ख.1, और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

"ख.1

यदि तालिका ख में कॉलम (12) का उत्तर 'हां' है और निर्यात खेप में सीटीएच 7117 या 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषण हैं, तो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें			
(i) ई-कॉमर्स ऑपरेटर या वेबसाइट का नाम	(ii) भुगतान/विशिष्ट लेनदेन आईडी	(iii) आदेश संख्या	(iv) आदेश तिथि".

[फा. सं. 455/03/2020-सीमाशुल्क V]

कोमिला पुनिया, उप सचिव

**टिप्पणी :** मूल अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010 जिसे सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 57/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून 2022, जिसे सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 30 जून 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> September, 2022

**No. 81 /2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 722(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Second Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010,-

(i) in Form D, for S.No. 18A, relating to E-commerce Import details, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“E-commerce import (18A)
Whether import using e-commerce (Yes/No)”;

(ii) in Form E, for column 6A, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“E-commerce import (6A)
Whether import using e-commerce (Yes/No)”;

(iii) in Form HA, for the heading B.1, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“B.1

If answer to column (12) in Table B is 'Yes' and the export consignment contains jewellery falling under CTH 7117 or 7113, then provide			
(i) Name of E-commerce Operator or Website	(ii) Payment/ unique transaction ID	(iii) Order No.	(iv) Order Date”.

[F. No. 455/03/2020-Cus.V]

KOMILA PUNIA, Dy. Secy.

**Note:** The principal notification No. 36/2010-Customs (N.T.), dated the 5<sup>th</sup> May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 385(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2010 and was last amended *vide* notification No. 57/2022-Customs (N.T.), dated the 30<sup>th</sup> June 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 485(E), dated the 30<sup>th</sup> June 2022.